ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Special Press Briefing **17 Dec, 2025**

Shri Mallikarjun Kharge, Congress President & LoP, Rajya Sabha; Shri KC Venugopal, MP and General Secretary (Org), AICC; Dr Abhishek Manu Singhvi, MP and Chairman, Law, Human Rights & RTI department, AICC; Shri Jairam Ramesh, MP and General Secretary (Communications), AICC; and Shri Pawan Khera, Chairman, Media & Publicity (Communication Deptt), AICC; addressed the media at 10 Raja Ji Marg, New Delhi, today.

श्री पवन खेड़ा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा - धन्यवाद साथियों। विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि सबको जाना है पार्लियामेंट। सबसे पहले मैं डॉ० अभिषेक सिंघवी जी से आग्रह करूंगा कि वो ये प्रेस वार्ता शुरू करें, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी आपको संबोधित करेंगे।

डॉ० अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- दोस्तों, ये कहानी है द्वेष प्रेरित लापरवाही से भरी, बिना अधिकार क्षेत्र के कार्रवाई करने की कहानी। यद्यपि मैं संक्षिप्त में कहूंगा, लेकिन यह बहुत रोचक कहानी है... शोर बहुत था, जोर नहीं था, आरोप था, आधार एकदम नहीं था, कभी नहीं था। इस केस में सत्ता के दबाव पर संविधान का अंतिम प्रभाव पड़ा है कल के निर्णय में। जहां इल्जाम हवा में थे, कानून जो है... जमीन पर था और मैं आपको प्रमाणित करूंगा कैसे यह द्वेष से भरा है।

याद रहे ईडी ने 2021 और 2025 के बीच में राहुल गांधी जी को लगभग 50 घंटे बुला के तहकीकात की, इंटेरोगेट किया... 50 घंटे कितने होते हैं? शायद 55 थे या 52 थे... मुझे एक्जैक्ट याद नहीं है। खरगे साहब को पांच-छह घंटे, सोनिया जी को सात-आठ घंटे अलग-अलग तिथियों पर।

दूसरा- हर तिथि पर कोर्ट में तारीख हो, कुछ फाइल करना हो तो एक बड़े अच्छे तरीके से, व्यापक रूप से लीक होता था अखबारों में... अरे इतने बड़े स्कैम में आज हम ये फाइल कर रहे हैं... हर तिथि पर सुर्खियों में होने के लिए, शोरगुल के लिए।

तीसरा- इस दौरान... मैं 2021 से 2025 की बात कर रहा हूं... अटैचमेंट्स हुए, फ्रीज़िंग हुए, कहीं किराया आ रहा है तो किराए को बंद कर दो। अब ये रोचक कहानी क्यों है

कि ये शुरू हुई थी 2014 में, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने शुरू की थी, एक प्राइवेट कंप्लेंट की और उस पर समनिंग ऑर्डर हुआ। मैं मोटी-मोटी बात कर रहा हूं।

2014 में ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हजारों-सैकड़ों बार लिख दिया सीबीआई को और ईडी को... कि मैंने ये कार्रवाई कर दी है, ये आरोप हैं, ये गलती है, ये है फलाना-ढिमकाना।

अब रोचक बात सुनिए... 2014 से 2021 कितने साल होते हैं? सात वर्ष तक सीबीआई और ईडी ने लिखित रूप से अपनी फाइल्स में लिखा कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है... ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपको शक-शुब्हा... हम हवा में बात नहीं करते हैं, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं... अगर शक-शुब्हा जो मैं बोल रहा हूं, तो पैरा - 218 से 233 पढ़ लीजिए इस निर्णय का... यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2014 से 2021 तक फाइल पर, क्योंकि ओपिनियन ली गई, सलाह ली गई... प्रेडिकेट ऑफेंस... एफआईआर की एजेंसी होती है सीबीआई, मनी लॉन्ड्रिंग की एजेंसी होती है ईडी... दोनों की संयुक्त सहमति थी, जॉइंट कंसेंसस ये शब्द इस्तेमाल किया है जज ने 232 पैरा नंबर पर।

संयुक्त सहमति कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस की एफआईआर बनती ही नहीं है, नहीं तो आप समझिए कि सात साल तक कोई एफआईआर लॉज नहीं करता क्या? क्यों नहीं की लॉज? उसके बाद अचानक 30 जून 2021 को एफआईआर लॉज होती है... ये ऑफेंस हुआ है 2014 से सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार और 2021 जून में जब ये होती है, उसके एकदम पहले एक सलाह ली जाती है और अचानक जो सात साल से संयुक्त सहमति थी कि नहीं होनी चाहिए, वो एफआईआर होती है।

अगर यह राजनीतिक द्वेष नहीं तो क्या है? यानी कहा गया... सलाह कुछ भी हो, ओपिनियन कुछ भी हो, संयुक्त कंसेंस कुछ भी हो, आपको एफआईआर फाइल करनी है... तो कर दी। वो ईसीआईआर कर दी जून में ईडी ने। उसकी कॉग्निजेंस लेने से मना किया है जज ने कल वाले निर्णय में। यह एजेंसीज के दुरुपयोग का सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण है... किसकी जवाबदेही है इसके लिए? किसकी कुर्सी है? किसके विरुद्ध एक्शन लिया गया है?

एक और पक्ष... इस निर्णय के स्तंभ क्या हैं? ये बार-बार कहते हैं प्रोसीजर है, कुछ नहीं है, टेक्निकल है, प्रीमेच्योर है... कल से सुन रहा हूं मैं। इसके चार-पांच स्तंभ सुनिए, 5 सबसे मुख्य।

स्तंभ नंबर एक - जो हमारी दलील थी कि कानून कहता है, लिखा है सेक्शन पांच में पीएमएलए एक्ट में कि सिर्फ पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट की कंप्लेंट या एफआईआर पर कार्रवाई हो सकती है... शब्द है पर्सन ऑथराइज्ड। अब सुब्रमण्यम स्वामी तो पर्सन ऑथराइज्ड नहीं है ना, ये तो प्राइवेट आदमी ने कंप्लेंट की थी। एक अलग कहानी और रोचक है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद अपनी मजिस्ट्रेट वाले समनिंग ऑर्डर और कंप्लेंट को, कार्रवाई को अपने आप हाई कोर्ट जाकर, अपनी खुद की कार्रवाई को स्थगित करा दिया... वो एक अलग कहानी है।

तो इसके आधार पर जज ने कहा कि आपने अनुच्छेद-5 की कंडीशन को सेटिसफाई नहीं किया है। सिर्फ एजेंसी, यानी सीबीआई या ईओडब्ल्यू ये एफआईआर फाइल कर सकती थी, जो नहीं की 2014 से 2021 और 2021 से 2025 यानी लगभग एक दशक तक नहीं की।

फिर कहा है कि नींव, हर चीज की नींव, पीएमएलए की नींव... पीएमएल बना था एक एफएटीएफ फाइनेंशियल टास्क फोर्स के अंतर्गत, उसमें लिखा हुआ है कि इसकी नींव होनी चाहिए, एक एफआईआर, एक प्रेडिकेट ऑफेंस जिसको कहते हैं वकील... टेक्निकल टर्म में प्रेडिकेट ऑफेंस और इसका उद्देश्य है कि ये परिणामस्वरूप एक कार्रवाई होती है, जिसमें इसकी नींव होती है प्रेडिकेट ऑफेंस और निर्णय में ये काफी विस्तार से लिखा गया है। तो जब नींव नहीं, तो इसमें आपको इमारत खड़ी की गई... एक इमारत राजनीतिक आरोपों से मुकदमे बनाने की।

मुकदमे राजनीतिक आरोपों से नहीं बनते, वो विधि के आधार पर बनते हैं और कल अदालत ने याद दिलाया कि प्रक्रिया, कानून, अनुच्छेद न्याय की आत्मा है, बाधा नहीं हैं... कि अचानक आपने इनको बोल दिया 2021 में कि करो एफआईआर, ओपिनियन कुछ भी हो, क्योंकि इसमें गांधीज़ हैं, इसमें कांग्रेस है, इसमें खरगे जी हैं और सोचिए कुल मिलाकर करीब 80 घंटे ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर दी, बिना ये जाने कि एफआईआर ही नहीं है। बिना कानूनी नींव के खड़ा किया गया मुकदमा अपने बोझ से खुद गिर गया।

हां, ये बात सही है कि जज ने कहा है कि मुझे आगे मेरिट्स पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है... कानून में, फौजदारी कानून में सबसे न्यूनतम स्टेज होती है कॉग्निजेंस लेने की। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि आप मेरे घर की बाहरी दीवार के अंदर भी नहीं आ सकते... यानी ये घर है इनका, ये दीवार है, इसके बाहर ही रोक देते हैं। तो जज ने उस न्यूनतम आधार और कसौटी पर कॉग्निजेंस लेने

से मना कर दिया। यानी ये इतनी बेकार कंप्लेंट है कि मैं कॉग्निजेंस भी नहीं लूंगा। और फिर कहा है कि मैंने पूछा एएसजी राजू से कि आपने ये रोचक नई एफआईआर जो फाइल की है 3 अक्टूबर 2025 को, यानी कुछ हफ्ते पहले... तो उन्होंने कहा कि इस नई एफआईआर का कोई संबंद्ध नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है पुरानी वाली का।

ये हम सब जानते हैं कि हमारी दलील खत्म हुई। इतना बुलंद और इतना मजबूत था हमारा स्टैंड कि घबराहट में, बौखलाहट में उन्होंने एक और एफआईआर ठोक दी है 3 अक्टूबर को। उस प्रक्रिया को अलग से हम डील करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है निर्णय में कि हम उस प्रक्रिया को देख नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं उसके बारे में। लेकिन ये भी आपको द्वेष बताता है। आपने संयुक्त सहमति के बाद गलत चीज की, कोर्ट ने क्वैश (quash) की। आपको ये मालूम होते हुए आपने फिर एक नई एफआईआर ठोक दी 3 अक्टूबर को। ये सब एक राजनीतिक द्वेष की कहानी है।

मैं दो शब्द और आपको मेरिट्स पर बताकर अपनी बात हिंदी में खत्म करता हूं, शायद इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में बोलेंगे। ये मेरिट्स में एक अजीबोगरीब केस क्यों है? वास्तव में अजीबोगरीब केस है। इसलिए क्योंकि एक मिलीमीटर यहां कोई स्थानांतरण नहीं हुआ किसी चीज का। दो चीजें होती है स्थानांतरण के लिए... मनी लॉन्ड्रिंग की कंडीशन होती है। एक तो होता है पैसा, उसको यहां से वहां मूव करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है, कैश को बदलकर प्रॉपर्टी बना लीजिए। दूसरा होता है अचल संपत्ति का मूवमेंट। अब ये रोचक कहानी इसलिए है क्योंकि इसमें ना तो पैसे का स्थानांतरण है, ना अचल संपत्ति का है। ये एजेएल एक कंपनी है, 100 वर्ष के आसपास हो जाएंगे उस कंपनी को, उसके पास ये सब अचल संपत्तियां हैं अखिल भारतीय स्तर पर, वो अचल संपत्तियां उसी एजेएल के नाम पर आज भी हैं, तब भी थीं, 80 साल से थीं, 50 साल से थीं, एक मिलीमीटर भी मूव नहीं हुईं।

उस एजेएल को... क्योंकि आदर्शवाद पर स्थापित कई कंपनियां आर्थिक कठिनाइयों में पड़ती हैं, ये कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती हैं, उसको ऋण मुक्त करने के लिए, जो आज भारत की हर कंपनी करती है... भारत में कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जो अपने आपको ऋण मुक्त नहीं करना चाहती। ऋण मुक्त करने का तरीका होता है कि उस पर जो डेब्ट होती है... ऋण, उसको हिस्सेदारी में बदल दो... इक्विटी में, कन्वर्ट डेब्ट इन्टू इक्विटी। सिर्फ इस उद्देश्य से एक नई कंपनी बनाई गई कि वो जो उसका ऋण है, वो उस कंपनी को ट्रांसफर हो जाए... यानी 'यंग इंडियन'।

अब मैं समझता हूं कि दुनिया भर तो बहुत मूर्ख होगी, ईडी बड़ी इंटेलिजेंट होगी। इतने मूर्ख हैं हम लोग कि हमने बनाई यंग इंडियन कंपनी, इस पूरी अचल संपत्ति को खाने के लिए और यंग इंडियन क्या चीज है... यंग इंडियन है- not-for-profit, section 8 company... कंपनी का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि उससे पैसे निकालकर आप डिविडेंड ले लें, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, गाड़ी-घोड़ा ले लें, विमान ले लें... अरे वहां पर खरगे जी बैठे हुए हैं, सोनिया जी बैठी हुई हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, एक दमड़ी नहीं मिलती है और अगर देना चाहें, तो भी नहीं दे सकते उनको, कानून में लिखा... इसलिए हमने बनाई, हम इतने जबरदस्त मनी लॉन्डर्र हैं, हमारा ब्रेन इतना बड़ा है कि हमने इजाद करके ऐसी कंपनी बनाई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए... ये अगर राजनीतिक इतना गंभीर मामला नहीं होता, तो हास्यास्पद होता। किंडर गार्टन के लॉ स्टूडेंट जो पहली क्लास में होते हैं, वो भी नहीं इसको मानते कि मनी लॉन्ड्रिंग है और इसके आधार पर कहते हैं कि चूंकि आपने अपना ऋण ट्रांस्फर कर दिया यंग इंडियन को, इसलिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है।

Dr. Abhishek Manu Singhvi said- Today, law has spoken louder than noise and facts because every day, we are having 'shor' and noise based on fiction. You have made a money laundering mansion on the quicksand of an absent, elusive FIR- No FIR. Investigative over-reach has met judicial oversight and that one is the Constitution. They must remember that courts are not theatres for political scripts. They are temples of due process.

This story is a story of political vendetta, of harassment on facts, which are remarkable. Events which have happened much before 2014 lead to a private complaint by a man called Subramanian Swamy with a summoning order in 2014. From 2014 to 2021, seven long years and it's recorded- these two paras- 218 to 233

There are written opinion sought and given that no predicate offence has made out. Who gave this opinion- CBI, ED. Obviously that is the reason why after 2014, they didn't file a complaint, an official complaint… only Subramanian Swamy's complaint was there. After written opinion suddenly, a few days before 30th June, 2021… the command comes from the skies- register an ECIR under PMLA… money laundering. It is clearly a command from the skies because the entire opinion of the agencies is - there is no predicate offence…. on that command, and we can guess very easily where the command came from.

On 30th June, 2021, seven years after, Mr. Subramanian Swamy has written again-and-again that I have filed a complaint and you have taken a decision not to file an FIR, suddenly on 30th June, 2021, an FIR is filed. From 2021 to 2025…

from Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Kharge Ji and many others- 55 hours + 6 or 7 hours + 8 hours… I believe a total of almost 90 hours of interrogation repeatedly going and every time they get up and go, there are big newspaper records to harass, to embarrass, to create a climate and then comes this judgment, which says… the statement little bit small thing… the Financial Task Force which created the PMLA, the PMLA section 5… all require the predicate offence, kindly show me the predicate offence and nobody can find the predicate offence.

The head should have rolled for this, instead what will you have - a justification. You have appealed on this order, and then comes this nice little new delicious FIR on 3rd October, 2025… that is 8 weeks ago or 6 weeks ago. Why the new FIR? This is an offence pre- 2013… because you want to keep the pot boiling because there is Sonia Gandhi involved, Rahul Gandhi involved, Mallikarjun Kharge involved… that's the only reason… the Congress party involved.

So, today's order is a reminder that criminal law is not a political press release, which is what you have been doing for last 7 years. You cannot weaponize the PMLA and then plead ignorance of the conditions of PMLA itself. This case has always been long on rhetoric and short on legs.

And lastly friends, this is the first one-trick-wonder of its kind in PMLA where there is alleged money laundering without one paisa moving one inch and one property moving one foot. AJL, the owner of all the immovable properties remains the owner, from time memorial- 50, 60, 70 years. AJL is converting a debt into equity… all companies do it by issuing shares… AJL shares are acquired by a remarkable company, designed for money laundering! Young Indian- a not-for-profit company, where even if you want, you can't pay a paisa of dividend, where the people sitting there can't draw perks, car, 'Hawai Jahaj', dividend profit, salary… nothing.

So, AJL remains the owner, the shareholding of AJL remains with Young Indian, Young Indian remains a not-for-profit company, and you have this grand, the big game of money laundering! You can judge for yourself.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- देखिए, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि सारी चीजें हमारे एडवोकेट ने बताई हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, उनको सब मालूम है। मैं इतना ही कहता हूं कि यह जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से केस डाला और इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष की दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या हैं, उन्होंने बताया। अब यह पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टैब्लिश किया आजादी दिलाने के लिए। लेकिन ये लोग आज मनी लॉन्ड्रिंग... सीबीआई, ऐसी एजेंसीज का उपयोग करके

हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही यह केस डाला है... नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है, कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जिस चीज में कोई दम नहीं है, उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को यह हैरास कर रहे हैं।

हमारे बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी बड़े-बड़े लोग जो आज उनके सिंपेथाइज़र नहीं हैं, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता रहे हैं और पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस डालकर उन्होंने कई एमपीज़ को अपनी तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाईं... यह सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के... 'सत्यमेव जयते' हमारा एक स्लोगन है, उसके तहत आज ये आया है। तो इस जजमेंट का हम वेलकम करते हैं और न्याय... सत्य की हमेशा जीत होती है, इसीलिए मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। जो इसके लिए मेहनत करे हमारे लोग, अभिनंदन मैं उनका भी करता हूं और आप लोग इतनी ठंडी में आए, आपको भी धन्यवाद।

एक प्रश्न पर कि ईडी कह रही है कि उच्च न्यायालय में फिर से इस मामले को ले जाएगी, एक नई एफआईआर भी करेगी, दिल्ली पुलिस द्वारा एक एफआईआर ऑलरेडी पहले से की जा चुकी है... ये जो सक्सेस कांग्रेस पार्टी बता रही है, इस केस में आगे चुनौती और है या नहीं? डॉ॰ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देखिए, अगर आप हार जाएं तो नागरिक के रूप में आपको अपील करने का अधिकार है, इससे आपकी हार कम हो जाती है क्या? आप अपील करेंगे, भविष्य में जरूर करिए, गुड लक टू यू। लेकिन जो मैंने आपको तथ्य बताए हैं, वो ऑब्जेक्टिव तथ्य हैं, एक तिथि गलत नहीं, एक प्रक्रिया गलत नहीं। ये आप जवाबदेही कहां देंगे कि 2013 से 2021 तक और 2021 से 2025 तक जो आपका रवैया रहा, वो क्या था, क्यों किया आपने यह? और अब जो आप कर रहे हैं, जो आगे करेंगे भविष्य में... वो नई एफआईआर क्यों की? क्या आवश्यकता थी?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने जोड़ते हुए कहा कि देखिए, ये फैसला आने के बाद मैं यह कहना चाहता हूं मोदी जी और शाह को रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि उनके मुंह पर एक थप्पड़ मारने जैसा हुआ है और आज उन्हें ये समझ के इस्तीफा देना चाहिए, ऐसे जनता को सताने का काम उन्हें नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको यह मालूम होगा कि ऐसी चीजें हम अगर करेंगे, लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी... ये मैं कहना चाहता हूं।

On another question that many BJP spokespersons have said that the Congress is celebrating a technical issue and it's not a victory, the case will go on, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- See, a judgement is a judgement; you can use any adjective you like. Self-servingly calling it technical, please ask them if the violation of the PMLA is technical, please ask them- if you weaponize PMLA on the one hand and on the left hand, they say- it is only a technical thing… And why did they not file an FIR from 2014 to 2021, and what was the meaning of all their opinion, saying no predicate offence is made out. Please ask them that.

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि देखिए, ये सब हम पॉलिटिकल फाइट कर रहे हैं। इससे पहले जुलूस निकाले जब सोनिया गांधी जी को ईडी केस में बुलाया था, मुझे बुलाया था, राहुल गांधी जी को बुलाया था और कई लोगों को भी बुला-बुलाकर उन्होंने इसके बारे में पूछताछ की। लेकिन हम सड़क पर, सदन में, सदन के बाहर, हर जगह फाइट कर रहे हैं, फाइट करते रहेंगे और इनको लेसन सिखाएंगे।

Shri K.C. Venugopal added- We will expose this vendetta politics on the streets of this country. Entire Nation is now agitating. Congress party, you know, since 7 years is facing this type of humiliation from ED. Our supreme leadership is facing this type of vendetta politics. Now, all Karyakartas are actually agitated. We are going to show our strength all over India, because this is clearly an example of how ED is misused by the central government to target the opposition leaders.

Sd/-
Secretary
Communication Deptt.
AICC